न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी0 आर0 मीना ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/246/2024

उनवान

1. नन्दा पुत्र स्व. श्री रामसुख जी जाट आयु बालिग निवासी जापरपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा राज.
2. सुरजमल पुत्र स्व. श्री रामसुख जी जाट आयु बालिग निवासी जापरपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा राज.
3. हरचन्द पुत्र स्व. श्री रामसुख जी जापरपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला जाट आयु बालिग निवासी भीलवाड़ा राज.

.....अपीलाण्टान्टस/प्रतिवादीगण

बनाम

1. देवीलाल पुत्र स्व. श्री रामलाल जी जाट आयु बालिग निवासी जापरेपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा राज.
2. लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री रामलाल जी जाट आयु बालिग निवासी जापरपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा राज.
3. मु. अनोपी बेवा स्व. श्री पन्नालाल जी जाट आयु बालिग निवासी जापरपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा राज.
4. श्रवण पुत्र स्व. श्री पन्नालाल जी जाट आयु बालिग निवासी जापरपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा राज.
5. रणवीर पुत्र स्व. श्री पन्नालाल जी जाट आयु बालिग निवासी जापरपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा राज.
6. मनफुल पुत्र स्व. श्री पन्नालाल जी जाट आयु बालिग निवासी जापरपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा राज.

वादीगण/रेस्पोडेण्ट

7. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा राज.

प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ
के प्रकरण संख्या 200/2004 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.10.2023

अभिभाषक :

1. श्री अमित कोठारी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री पृथ्वीराज चौधरी अधिवक्ता प्रत्यर्थी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आदेश

दिनांक 17.2.2026

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जापरपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा की सरहद में गत बन्दोबस्ती आराजी नम्बर 67/3 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता स्व0 पन्ना लाल पिता नाथू जी जाट निवासी जापरपुरा के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की आराजियात थी । जिसका वादीगण उपयोग उपभोग करते करवाते चले आ रहे है व लगान राज्य सरकार में जमा करा रहे है।

2. नवीन भू प्रबन्ध में इस गत बन्दोबस्ती आराजी नम्बर 67/3 का नया नम्बर 224 कायम हुआ। जिसका रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा बनाये गये किन्तु दौराने भू प्रबन्ध ही अकारण बिना किसी सक्षम न्यालय के आदेश खातेदार राम लाल पन्ना लाल पिता नाथू जाट का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाकर प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 के पिता रामसुख पुत्र हजारी जाट के नाम दर्ज कर दिया गया जो अकारण व बिना किसी आधार के किया गया । भू प्रबन्ध विभाग को इस प्रकार के परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। दौराने भू प्रबन्ध केवल गत बन्दोबस्ती आराजियात के अंकन की पुनरावृति की जानी चाहिये थी। इस कारण यह अंकन गलत शून्य एवं क्षैत्राधिकार से पेर होकर वादीगण के मुकाबले बेअसर है।

पन्ना लाल के देहावसान के 11 वर्ष पूर्व , राम लाल को देहावसान 10 वर्ष पर्व एवं रामसुख का देहावसान 5 साल पूर्व हो गया । जिनके उत्तराधिकारी वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 है तथा वादीगण का उक्त आराजी पर आज भी कब्जा चला आ रहा है। विवादित भूमि बीड होकर वादीगण प्राप्त कर रहे है। इस कारण वादीगण कोइ इस गलत अंकन की कोई जानकारी नहीं हो सकी ।

4. इस गलत अंकन की सर्वप्रथम वादीगण को जानकारी मई 2004 में तब हुई जब वादीगण उक्त आराजी को उन्नत व आबाद करने हेतु इस पर ऋण प्राप्त करने के लिएपटवारी हल्का से नकले प्राप्त की तब इस गलत अंकन की जानकारी हुई। वादीगण ने प्रतिवादीगण को इस गलत अंकन के दुरूस्ती बाबत कहा तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये व जमीन को अपनी स्वयं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

की होना बता यह धमकी देने लग गये कि इस वर्ष घास हम प्राप्त करेंगे और वादीगण को बेदखल कर देंगे।

5. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने भू प्रबन्ध विभाग से मिलीभगत कर उक्त आराजी को अपने नाम पर गलत तरीके से दर्ज कराई है और जब जबरन कब्जा कर लेना चाहते है। इस कारण वादीगण को वादग्रस्त आराजियात को घोषणात्मक डिकी प्राप्त करने का दावा पेश करना आवश्यक हो गया है औरवादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी प्रतिवादीगण नहीं करे इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है।

6. वादीगण को वाद हेतुक दिनांक 12.5.2004 से प्रतिवादीगण के गलत अंकन की जानकारी हुई व उनके द्वारा धमकी दी गई तब से उत्पन्न होकर जारी है।

7. अतः निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस आशय की घोषणात्मक डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की कजावे कि मौजा जापरपुरा स्थित आराजीनम्बर 224 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा वादीगण के खातेदारी की घोषित की जावे एवं राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम से हटाई जाकर वादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड की जावे।

8. इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के उपयोग उपभोग मे प्रतिवादीगण कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे , वादीगण को बेदखल नहीं करे व शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

9. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय व डिकी द्वारा वादी का वाद पत्र 19.10.2023 को स्वीकार किया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

10. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

11. अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्टान ग्रामीण परिवेश के होकर पढ़े–लिखे नहीं है। जिन्हें कोई किसी प्रकार से कानुनी पेचिदिगियों की जानकारी नहीं है। अपीलाण्टान के अधिवक्ता महोदय ने भी कह रखा था कि जब भी तुम लोगों की जरूरत होगी, बुला लेगें। विवादित भुमि पर कब्जा अपीलान्टान् का हो चला आ रहा है। मगर आलौच्य निर्णय व डिकी से अपीलाण्टान के कब्जेकाश्त पर आँच आती है और निज भविष्य में आने की पूर्ण आशंका है। अभी हाल ही में, दिनांक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

20.11.2024 को वादीगण/रेस्पोडेण्टान् ने विवादित आराजी के मौके पर आकर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया और कहा कि हमारे पक्ष में न्यायालय का आदेश हो रखा है। जिस पर प्रतिवादीगण दिनांक 21.11.2024 को न्यायालय परिसर में जाकर अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तो ज्ञात हुआ कि प्रकरण दिनांक 19.10.2023 को ही निर्णीत हो चुका है । जिस पर प्रतिवादीगण ने तत्काल उसी दिन आलौच्य निर्णय व डिकी की नकलें प्राप्त करने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया । जिस पर दिनांक 22.11.2024 को प्रतिवादीगण को आलौच्य निर्णय व डिकी की नकलें प्राप्त हुई है 1 जिससे अपीलाण्टान को सर्वप्रथम आलौच्य निर्णय व डिकी की जानकारी हुई है। गरज कि दिनांक 19.10.2023 से दिनांक 20.11.2024 तक का समय जानकारी के अभाव में गुजरा है।

12. अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है । अपीलार्थीगण ने जानबूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत नहीं की है।

13. अतः निवेदन है कि दिनांक 19.10.2023 से दिनांक 20.11.2024 तक का समय जो जानकारी के अभाव में गुजरा को कण्डोन किया जाकर अपील को अन्दर अवधि माने जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

14. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि वादीगण का अपने वाद में मुख्य रूप से यही उजर रहा है कि साबिक आराजी संख्या 67/3 वादीगण के पिता रामलाल, पन्नालाल जाट के खातेदारी अधिकार की थी व उक्त साबिक आराजी 67/3 के नवीन नम्बर 224 कायम हुये है तथा दौराने सेटलमेंट उक्त आराजी वादीगण के पिताश्री रामलाल, पन्नालाल जाट के नाम से अकारण हटा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के पिताश्री रामसुख पुत्र हजारी जाट के नाम अभिलिखति कर दी गई, जो नियम विरूद्ध होने से उक्त आराजी पुनः वादीगण के नाम अभिलिखत की जावे तथा वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

15. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादीगण के उक्त उजर के संबंध में महत्वपुर्ण दस्तावेज खसरा मिलान की प्रमाणित नकल है, जिससे वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष उजागर होती है । उक्त दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि हाल आराजी संख्या 224 साबिक आराजी संख्या 67/3 से बनी ही नहीं है । बल्कि हाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आराजी संख्या 224 साबिक आराजी संख्या 67/2 से बनी है और साकि आराजी संख्या 67/2 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के पिताश्री रासुख जाट द्वारा बजरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांकित 21.09.1950 से खरीद की हुई है। इतना ही नहीं उक्त साबिक आराजी संख्या 67/2 सेटलमेंट से पूर्व ही प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के पिताश्री रामसुख जाट के नाम राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज हो चली आ रही है। गरज कि विवादित हाल आराजी संख्या 224 जो कि साबिक आराजी संख्या 67/2 से बनना दस्तावेजी साक्ष्य खसरा मिलान से बेखुबी प्रमाणित है, को नजरअंदाज करते हुये मातहत अदालत ने प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट से प्रिज्युडिश हो आलौच्य निर्णय व डिकी दस्तावेजी साक्ष्य से परे जाकर अपने तही मनमकसुद तरीके से विधी विरूद्ध पारित की गई है, जो निरस्त योग्य है ।

16. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि विकय पत्र को आज तक खारिज नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त बेचान पत्र का प्रदर्श नहीं हुआ है। जो पक्षकार की अनभिज्ञता व अधिवक्ता द्वारा सही पैरवी करने से पक्ष नहीं रखा जा सका । पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण संख्या 260/84 में वादी के पूर्व जो द्वारा पेश वाद का न्यायालय द्वारा खारिज कर निस्तारण कर दिया । तो उक्त आराजी से दो दो निर्णय कैसे दिये जा सकते है। अधिवक्ता द्वारा सही पैरवी नहीं करने से समय पर सूचना नहीं दी गई है।

17. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रतिवादीगण/अपीलाण्टान् जो कि ग्रामीण परिवेश के होकर काश्तकार है तथा पढ़े–लिखे नहीं है, को कोई किसी प्रकार से कानुनी पेचिदिगियों की जानकारी नहीं है प्रतिवादीगण को उनके अधिवक्ता ने हिदायत दे रखी थी कि जब भी प्रकरण में तुम्हारी आवश्यकता होवेगी, मैं तुम्हें बुला लूँगा। जिस पर प्रतिवादीगण अपने अधिवक्ता के बुलावे के इंतजार में रहे। अभी हाल ही में दिनांक 20.11.2024 को वादीगणध्रेस्पोडेण्टान् ने विवादित आराजी के मौके पर आकर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया और कहा कि हमारे पक्ष में न्यायालय का आदेश हो रखा है। जिस पर प्रतिवादीगण दिनांक 21.11.2024 को न्यायालय परिसर में जाकर अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तो ज्ञात हुआ कि प्रकरण दिनांक 19.10.2023 को ही निर्णीत हो चुका है । जिस पर प्रतिवादीगण ने तत्काल उसी दिन आलौच्य निर्णय व डिकी की नकलें प्राप्त करने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया । जिस पर दिनांक 22.11.2024 को प्रतिवादीगण को आलौच्य निर्णय व डिकी की नकलें प्राप्त हुई है । जिससे

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपीलाण्टान को सर्वप्रथम आलौच्य निर्णय व डिकी की जानकारी हुई है। गरज कि दिनांक 19.10.2023 से दिनांक 20.11.2024 तक का समय जानकारी के अभाव में गुजरा है, जिसे कण्डोन फरमाये जाने हेतु दफा 05 कानुन मियाद का प्रार्थनापत्र हमराह अपील अलग से पेश किया जा रहा है।

18. अतः निवेदन है कि अपील अपीलाण्टान् स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय एवं डिकी दिनांकित 19.10.2024 अपास्त की जावे ।

19. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थीगण को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया। उनका यह भी निवेदन है कि अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रत्येक दिवस की विलम्ब अवधि का स्पष्ट और युक्तियुक्त कारण दर्शाया जाना आवश्यक होता है। अपीलाधीन प्रकरण में अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह पर्याप्त नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज कर अपील अपीलार्थीगण को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

20. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी का रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा है व इसके पडौस में पूर्व में हाकिम मास्टर व पश्चिम में रामसुख, उत्तर में देवी लाल व दक्षिण में आम रास्ता है। गवाह पी डब्ल्यू ने अपने मुख्य परीक्षण में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी का रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा है व पडौस भी बताये है। दावे में पन्ना लाल की फाटक भी है एवं पन्ना लाल अनोपी का पति है। जमीन पर कब्जा वादिया का है। रजिस्टर्ड विकय पत्र में जिस आराजी को बता रहे है। उसमें अंकित पडौस नहीं है । अपील में जो उज्र एतराज लिया है वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 के द्वारा तय हो चुके है। जो खारिज हो चुकी है। जिसका रिविजन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक विश्लेषण कर पारित किया गया है। अपील 366 दिन देरी से पेश की है। देरी का सद्भाविक कारण नहीं दर्शाया गया है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

21. हमनें पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, रेकार्ड का अध्ययन, अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्टान ग्रामीण परिवेश के होकर पढ़े–लिखे नहीं है। जिन्हें कोई किसी प्रकार से कानुनी पेचिदिगियों की जानकारी नहीं है। अपीलाण्टान के अधिवक्ता महोदय ने भी कह रखा था कि जब

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भी तुम लोगों की जरूरत होगी, बुला लेगें। विवादित भुमि पर कब्जा अपीलान्टान् का हो चला आ रहा है। मगर आलौच्य निर्णय व डिकी से अपीलाण्टान के कब्जेकाश्त पर आँच आती है और निज भविष्य में आने की पूर्ण आशंका है। अभी हाल ही में दिनांक 20.11.2024 को वादीगण/रेस्पोडेण्टान् ने विवादित आराजी के मौके पर आकर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया और कहा कि हमारे पक्ष में न्यायालय का आदेश हो रखा है। जिस पर प्रतिवादीगण दिनांक 21.11.2024 को न्यायालय परिसर में जाकर अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तो ज्ञात हुआ कि प्रकरण दिनांक 19.10.2023 को ही निर्णीत हो चुका है । जिस पर प्रतिवादीगण ने तत्काल उसी दिन आलौच्य निर्णय व डिकी की नकलें प्राप्त करने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया । जिस पर दिनांक 22.11.2024 को प्रतिवादीगण को आलौच्य निर्णय व डिकी की नकलें प्राप्त हुई है 1 जिससे अपीलाण्टान को सर्वप्रथम आलौच्य निर्णय व डिकी की जानकारी हुई है। गरज कि दिनांक 19.10.2023 से दिनांक 20.11.2024 तक का समय जानकारी के अभाव में गुजरा है।

22. अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है । अपीलार्थीगण ने जानबूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत नहीं की है।

23. अतः निवेदन है कि दिनांक 19.10.2023 से दिनांक 20.11.2024 तक का समय जो जानकारी के अभाव में गुजरा को कण्डोन किया जाकर अपील को अन्दर अवधि माने जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

24. प्रत्यर्थीगण की ओर से रिबटल में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जिससे अपीलार्थीगण द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण अंकित किया गया है उसका खण्डन होता हो। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक होने से न्यायहित में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

25. पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन, अवलोकन किया गया । बहस का मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन व मिलान किया गया । रेकार्ड अनुसार आराजी नम्बर 67/3 के नये नम्बर कौनसे है? सेटलमेण्ट विभाग का जो रेकार्ड प्रस्तुत किया गया है वह स्पष्ट नहीं है। साबिक नम्बर 67/2 के नये नम्बर 224 बने है। और आराजी नम्बर 67/2 की अपील मेमो के साथ प्रस्तावित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

दस्तावेजों अनुसार किसी को ट्रांसफर किया गया है तो आराजी नम्बर 224 सेटलमेण्ट की गलती कैसे हो सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी नम्बर 224 वादी को सेटलमेण्ट की गलती बताकर इन्द्राज दुरूस्ती का दावा स्वीकार किया है वह सही नहीं है। प्रकरण में पुनः परीक्षण की आवश्यकता है।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.10.2023 को निरस्त किया जाता है व प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व रेकार्ड का विधिवत परीक्षण किया जावे व पक्षकारों को विधिवत सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 8/4/26 को उपस्थित रहे।

26. आदेश खुले न्यायालय में लिखाया जाकर आज दिनांक 17.2.2026 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(पी0आर0मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा